

व्याप्रवाच प्रार्कार नगर विकास विभाग

अधिसधना

रा ११, दिनांक-.... राख्या-ह / नविव / विविध / 141 / 2012..... हारिखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय-46 सह पवित धारा-690 द्वारा प्रवत्त शवित्तयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त आंनियम की धारा-186 (1) क अन्तर्गत आएखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में धर्मशाला, विवाह मन्त्र आदि के द्वत्रस्थित छप रा निर्माण, संचालन एवं नियंत्रण के तिए "झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन (Magdage Hall) / वैवर्षेट होंल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉरटल निर्माण आर अनुकाप्ति नियमावली 2013 अधिसूचित करते है। यह सियमावली ाली अप्रैल, 2013 के प्रभाव । लागू होगा।

भाररवण्ड के राज्यमाल के आवश सा

Bu/-

(डॉ॰ निवित कुलकणी) सरकार के प्राचित्र।

राँची ।तनांक-न्नापाक- ७ / नव्दिव / विविध / 141 / 2012..... प्रतिलिपि - अधीक्षक, एफाकीय मुद्रणाक्षय, डोएण्डा, एँची को सननार्थ एवं सजकीय मन्ति व आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

🎍 प्रकाशनोपशन्त अधिसूचना की 250 प्रतियाँ विभाग 🖟 उपलब्ध कराया जाय।

. सरकार के शक्ति।

ज्ञापाक-5 / न० व० / विविध / 141 / 2012...... पाँची, 1÷नांक-्रातिहित्। महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रौंची ∕ महामहिम राज्यपाल के - - नलाहकार जनगर विकास विभाग को सूचनार्थ ग्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य सिव, झारखण्ड, रींची / महालेखाकार, जारखण्ड, राँची / पत्ती विचास मारखण्ड / सभी संबंधित प्रमंखलीम आयुक्त, झारखण्ड / सभी संबंधित उपायुक्त जारखण्ड / सभी नुख्य कार्यपालक प्रदाधिकारी, कार्यपालक प्रदाधिकारी एवं विजय प्रदाधिकारी शहरा स्वापाल िकाय, आएरबण्ड को स्वानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

न्या भावपाइत व ली कारी id of york frame while

रारकार के समित

ubhi-adhisuchna-11



आरखण्ड शहरा क्षेत्र "धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall), ं वैववेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज़प्ति नियमावली, 2013

आरखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा—155 (1) एन गांस-590 में प्रदर्भ भावतया का प्रधाम करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियम स्वाते हैं :--

- संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः
- (ก) यह विभागविद्या इमरखण्ड शहरी क्षेत्र " धर्मशाला, विवाह भवन् । ज्वेट हॉल (หลดดอ หลา), लाज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञाप्ति नियमावली, 2013" จะผิดใช้ที่ เ
- (य) यह आरखण्ड राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में जहारपुचना निर्मेठ की तिथि स प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा:- जनतंक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इसे । उपभावली में :-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत हैं— झारखण्ड नगरपालिका अधिन १५, २०१३
 - (ख) 'विभाग' सं अभिनेत है नगर विकास विभाग आरखण्ड लकार।
 - (म) नगर निकास से अभिभेत हैं झारखण्ड राज्य के नगी शहरी स्थानीय निकास
 - (ध) अनुङ्गान्ति पदाधिकारी'' से अभिप्रेत हैं गगर निकाय क पुरवा कार्यपालक पदाधिकारी / गगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी ।
 - (ड) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी" से अभिप्रेत हैं— झारखण्ड नगरपालिका लाजियमं, 2011 के आया—55(1) में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य रहा जर हाथ निमुद्रा पदाधिकारी।
 - (च) नितीय वर्ष' का अभिप्रेत हैं 'पहली अप्रेल से मार्च की नित्रा तिथि।
 - (छ) धर्मशाला से अगिप्रेत हैं ऐसा गवंच, जो सार्वजिचिक अप से पंचपकार की धर्मार्थ के लद्देश्य से निर्मित है एवं किसी व्यक्ति अशल संस्था को ल्युबतम. किसय पर रहने या सामाजिक क्रिया-कलाप के लिए दिये जाते हैं।
 - (ज) 'तिवाह भवन (Marnage Hall) / वैंक्वेट हॉल (Banquet Han) ए। अभिप्रंत है -एसा भवन या जगह, जो सार्वजनिक रूप से सामाजिक एवं होर्भिक कार्या गथा - शादी, जन्मदिन अथवा अन्य समाराह आयोजित वर्षा एवं दावल, भाज बंटक इत्यादि कार्यों के लिये किसी व्यक्ति एवं संस्था की उन्सर्थ पर दिय जात

. 1



1.0

- (झ) हिटल से अभिप्रत हैं एसा भवन या जगह जहाँ भोजनालय, आवास-पृष्ट दावल होल विवाह होंल, रेस्टोरेन्ट या कोई दूसरा होंल या नलब या सोसाइ है। जिसमें एस परिसट्ट मदान या कोर्ट-यार्ड, जो खुला या - इत्या हो और रस्तय (हाटल में या अत्यथा) भी सम्मिलत हैं, जहाँ किसी व्यक्ति को भाजन एव सामान्य या विलासिता युक्त आवासीय सुविधा किससे पर है में आता है।
- (ं) 'लॉंंं के अभिप्रेत हैं ऐसा भवन, जिसका पूर्णतः के अशतः भाग की अस्थाता रूप से आवासीय सुविधा किराये पर दिया जाता का
- (d) 'हारटल'' रा अभिप्रेत हैं:- ऐसा भवन, जिसकी उपधान विद्यार्थियां का आवारीम सुविधा किसमें पर उमलब्द कराये आते हैं।

धर्मशाला, निवाह भवन, वैववंद होंल (Banquet Hall) लॉज एवं हॉस्टल निर्माण में विष्याकित मानको ध्यान में एखा जायेगा :-

- (क) पर्धाप्त जंगह,
- (ख) बिजली एवं प्रकाश की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था,
- (म) जलामृति की व्यवस्था,
- (ध) । आन्त्रिमन सुरक्षाः
- (इ) अवश और निकास की समुचित व्यवस्था,
- (व) आकरिंगकता की स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था,
- (छ) पाकिंग की त्यवस्था.
- (ज) करा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाः
- (इ)) स्त्री एवं पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था,
- (ा) गाजन बनाने की सुविधा उपलब्ध रहने की स्थिति में धुआ निकास एवं प्रदेषण नियंत्रण की समुचित त्यवस्था।

धर्मशाला, विवाह भवन (Macriage Hall) / वैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) लॉज एवं हॉस्टल फ निर्माण की प्रक्रिया:--

(क) धर्मशाला विवाह भवन / वैववेट हॉल (Banquet Hail), लीज एवं हॉस्टल निर्माण की अनुपति हेतु संवालक द्वारा संबंधित नगर निकाय के गुख्य कार्यसालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / कि पदाधिकारी के रामक्ष भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख सिहत भवन कार्य के साथ आयदन प्रस्तुत करना होगा।



- (ख) पाष्ट्र समी आवंद्रम पर पुख्य कार्यपालक पदाधिकात तमर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर विकास के तक्षीकारी की साम गिर्टित समिति है। ये विकास कार्यपाप की वार्यपाप की वरीम महाधिकारी की साम गिर्टित समिति है। ये विवास किया वार्यपाप
- (म) विभिन्न तथि नियम—3 में उल्लेखित शतों के अनुरूप उपनुस्त पास जाने पर संबंधित नगर निकास के मुख्य कार्यपालक पदाधिकान (नगर आयुक्त कार्यपातक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी द्वारा लोक जापित प्राप्त किया आयमा। लोक आपित नगर निकास के सूचना—पद्ध एवं स्थानम दैनिक समत्वार पत्रा में प्रकाशित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राप्त किया जायेगा। निधारित समय—सीमा में प्राप्त आपितियों के सन्दर्भ में पुनः समिति में बैठक में दिवार किया आयेगा।
- (घ) समिति के विचारोपसन्त उपयुक्त पाये जाने पर मुख्य काशनात्रक पदाधिकार है। अपने आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी दिशेष पदाधिकार के रतर से भवन उपविधि (Building by-laws) के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण करने की अनुपति प्रदान की जायंगी।
- (क) धर्मशाला, विवाह भगन् (Marriage Hall) विवर्षेट हों ज (Banque Hall), लॉज एवं होस्टल में झोरखंड राज्य के गगर निकास क्षेत्रात्तर्गत निसंग-न हे अन्तर्गत्न अनुपति प्राप्त कर निर्माण किये गये हो अथवा इस निसंगावली के प्रभावी हो। के पूर्व से निर्मित हो, के अपयोग के पूर्व राजधित नगर निकासों द्वारा अनुज्ञान्ति एक वर्ष के लिए विभित्त किया आसमा।
- (ख) घहरी रथानीय क्षेत्र अंतर्गत वैसे सभी होटल, जहाँ धार्मिक एवं सामाजिक सिति-रिवाजा क अनुसार शादी एवं अन्य समारीहों के लिए विवाह भवे। (Marriage Hall) वनवट होले (Banquer Hall) की सुविधा उपलब्ध है, को उक्त विवाह भवेन / वेक्वट होंटा (Banquer Hall) के लिए संबंधित नगर निकायों द्वारा अनुज्ञाप्ति एक वर्ष के लिए निमेत्र किया जासमा।
- धर्मशाला, विवाह गवन (Marriage Hall) / वैववेट हॉल (Banquet Hall), गोर्ज एवं हॉस्टरा क अनुद्याप्त की प्रक्रिया—
- b) वियम के अधीत निर्मित धर्मशाला, विवाह भवनं ∕ वैववेट ाल (Banquet Hait). वीज एवं होस्ट्रल के अनुज्ञास्ति की प्रक्रियाः=
 - (क) निसमान्त के अधीन निर्मित भवन में धर्मशाला, विवाह भवन / वैक्वेट हों हा (manquet mail): लॉज एवं हॉस्ट्रल के रूप में उपनाम करने के पृत् संबंधित नगर निकास के मुख्य कार्यपत्लक पदाधिका । / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी को व क्विंग हेतु वक्त निकास द्वारा निर्धारित प्रपन्न में आवेदन देगा।

3

(6(°))

- (ख) प्राप्त आवंदन पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी चग निकाय में अपनाब तकत्वाकी विशेषज्ञों से नियम—3 में निहित शाम के सबंध में जीता प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- (ग) जॉन प्रतिवदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में मिठल समिति द्वारा अनुज्ञानि हेतु विवार किया जातमा।
- (६) रामिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिका) द्वारा अनुशास की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी की जायेगी ।
- (ii) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व से निर्मात धर्मशाला, विवाह : भवन (Marriage Hall) / वैक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज मा हॉस्टल के आपुर्शाल की प्रक्रिया—
 - (क) पूर्व से निर्मित धर्मशाला, विवाह भवन (Marrian Hall) / बेंक्वट होल (Banquet Hall), लॉका एवं हॉस्टल के अनुज्ञपित म लिए संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी की नगर जिकाय हारा निधारित प्रपत्र गर आवेदल देगा।
 - (ख) प्राप्त आवेदन पत्र पर गुख्य कार्यपालक पदाधिन य/नगर आयुक्तः कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी नगर निकास में उपलब्ध तकिनेकी विशेषज्ञों से नियम-3 में निहित् श्रम्भ के संबंध में जॉन प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
 - (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यणलक प्रदाधिकारी कार्यणलक प्रदाधिकारी / विशेष प्रदाधिकारी द्वारा लोक आपित प्राप्त किया जायंगा। लोक आपित नगर निकाय के स्वना पदंद एवं स्थाना देनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रन्द्वह दिना के अन्दर प्राप्त किया जायंगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपितिया के सन्दर्भ में गुरुत कार्यणलक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यणलक पदाधिकारी : विश्व अयुक्त / कार्यणलक आयोजित कर समिति की उठक आयोजित कर समुण मामले गर विचार किया जायंगा।
 - (घ) समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारों / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारों, द्वारा अनुज्ञान्ति को कार्रवाई एक गांह के भीतर पूरी की जायेगी।

(in)

अनुक्षीका एवं नतीकरण का वार्षिक शुल्क निम्न दर्श से भवन क्राह्मकाँ / संस्था होत. सरकार संस्थाना होस देय होगा, जो निकारों की श्रेणी के आधार पर विम्नवेत् होगा

| | | निर्णित क्षेत्र अनुज्ञप्ति का न्यूनत | | | भूलक (राज म) |
|-----|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 300 | भवन का प्रकार | (Built up erea) | नगर निगम | नगर नारपद | नगर पंचानत |
| | યમેશાતા - | 5000 वर्गकीट राक | 1.000 / | 800 | 500 / |
| 1 | | 5001 वर्षपाट स कपर | 1,500 / | 1000 | 750 |
| | ीववाह अवस्ट | 5000 वर्गफीट तक | 10,000 / | 7,500 | 5000 |
| 2 | नवन होत | 5001 वर्गपरीट से ऊपर | 15,000/- | 10.00 | 7:500 / |
| | (Banquet Hall) | | | | |
| | लाज | 1-10 बेर्ड | 1.000 / | 800 | 500 |
| | | 11-20 वेड | 1.500 /- | 1;200 | 750/ |
| 3 | | 21-50 बेंड | 2,000/- | 1,500 | 1,000 / |
| | | 50 रो अधिक बेड | 2,500/- | 2,000 | 1,500 |
| | ş[te.et | 1-10 43 | 800/- | 600 | 500 |
| | | 11-20 48 | 1,000/- | 800 | 600 / |
| 1 | | 21-50 बेड़ | 1.500/- | 1,000 | 800 |
| | | 50 रो अंशिक बेड | 2,000/- | 1,50n | 1.000 |

नाट अपरायत दर अनुझाति के नवीकरण के लिए भी चार्षिक रूप से वेय होगा।

- उपरावत नियम-7 में बंगित न्यूनतम दशें के अतिरिक्त अगर वहरी रथानाय मीकार गृह अनुमय करती है कि शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यवसायिक महत्व के आधार प्रश्नितान महत्व के आधार क्षेत्र क्षेत्र का महत्व महत्व के अधिक किया जा स्वया है, किन्तु ऐसी वृद्धि अग्रियान विभागित विभागित करते हुए उसे लागू किया जा सवका है, किन्तु ऐसी वृद्धि अग्रियान विभागित विभागित कर का 25% से अधिक में हों।
- राज्य सरकार या भारत सरकार से भागता प्राप्त विद्वालय/महाविद्यालय/शृतिवासिः के तथा चलाये जा रहे हॉस्टलों से निबंधन शुल्क नगर निगम हम में मात्र १००० हैं रूपन चगर परिषद क्षेत्र में मात्र 750/— रूपमें एवं नगर चंचायते क्षेत्र में मार्च 500 क्षेत्र विभाग होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति अथवा गैर-सरकारी संस्ताना द्वारा सनालित हॉस्टलों के लिए शुल्क निमम-7 में विभाग दर के अनुसार देश
- 10 जिया मनन में धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / वैंक्वेट हो । (Banquet Hall), लेकि एवं होस्टल चलाया जा रहा है, जस भाग के लिये होल्डिंग र ।स आदि का निधीरफ डारिस्वण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधान के अनुसार व्यवसायिक भवन के अगुरूप ही किया जायेगा।
- 1) वननंनि विश्वपद्ग एवं स्वारध्य चिकित्सा पदाधिकारी के जॉब क उपरान्त उपयुक्त पाय जान पर धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) वैक्वेट हॉल (Gonquet Hall), लॉज एव होपटल के अनुद्गति का नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकेंगा

- 1107
- 12 अनुझाष्ट्रा की अविधि समाप्ता होने के एक गाह पूर्व अनुझाष्ति नेवा, वरण हेतु आवेदन दिना अस्यमा । निझारित अविधि तक नेवाकरण नहीं कराये जाने में विधन दण्ड भुरक ने साथ अनुझाष्ति का नवींकरण किया जायगाः—
 - (व-) एक गाह विवास होने गर- दण्ड शुल्क रूठ 500/-(पान सी रूपसे)
 - (१व) प्रत्यक तीन गाह के विलम्ब पर- दगड शुल्क एक 2,000 (-(वा हंगीर रूपि)).
 - (म) अनुद्धारित अवधि समाप्त होने के एक वर्ष तक अनुद्धारी का नवीकरण नहीं न सम जान पर अनुद्धारित स्वतः प्रभाव से रह समझा जानमा एवं उसके संवाहती का पूर्णतः बंद करा दिया जासमान
- 13. इन नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से 03 (तीन) माह में आदर अनुहाित प्रान्त हों। किन पर ऐसे सभी हार्गशाला, विवाह भवन (Marriage Ham) / वैनवेद होंल (Banquet Ham) लोज एवं होस्टल को अनाधिकृत होषित कर उसके नवालन की पूर्णत बन्द कराने की कार्रवाई की जा सकेंगी। हार्गशाला, विवाह भवन (Gamage Ham) / वेवल रे हार्ग (Banquet Ham), लोज एवं हॉस्टल संचालन पर रोक के लिए मुख्य नार्मधालय प्राह्मकारी / वेगर आयुक्त / कार्यपालक प्रदाधिकारी / विजय प्रदाधिकारी गर्म प्रविचित्ता
- 18. इस नियमावली के उपबंधों के अधीन लिये गये किसी विजय के निरुद्ध धर्मसाता विवाह भवन (Macriage Hall) / तैसंबेट हॉल (Banquet Hall), ले के एवं हॉस्टल संबोधन अपील हेतु सक्षम प्राधिकार झारखण्ड सम्मितिकर पर्षद होंगे। सम्मितिकर पर्षद मोठन वहाँ रहा की स्थिति में अपील संबंधित प्रमुंडलीय आयुवत के समक्ष किया जायेगा कि का कि मीतर आदेश पारित किया जायेगा?
- 15 यमा अनुझाट्त प्राप्त धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / कावट होंल (Barriust Hall) लाज एवं होंस्टल की सूची जिला प्रशासन एवं संबंधित हो । के थाना का अनुझाख पदाधिकारी के रहए से प्रेषित की जायेगी।
- 16. अनुझान्त प्रदाधिकारी स्वप्तेरणा से था शिकायत प्राप्त होन पर स्वयं अथवा विशेष प्रदाधिकार के द्वारा धर्मशाला, विवाह गवन (Marriage Hail) / उत्तर होंठा (Banquet Hail) / उत्तर होंठा (Banquet Hail) / उत्तर होंठा (Banquet Hail) / उत्तर एक होस्टल निरीक्षण के क्रम में जिल प्राचिका पर अझिंदा प्रदाधिकारों द्वारा अनुझाँदा दिया प्रया है, जराक प्रतिकृत माये जाने पर अझिंदा प्रदाधिकारों द्वारा अनुझाँदा का रह करते हुए संदालन को बंद करने की कार्य गई की जा सकरी, परेल एम कार्याई के पूर्व अनुझाँदाधारी को अपना पक्ष रखने एक युधार लाने का अवसार प्रदान किया जायेगा।
- 17 तुरुम सरकार की श्रावितः यदि इन वियमों को प्रभावी बनान अध्या विश्लेषण में किया। 1941र की किलाई उत्पान होती हैं, तो जगरपालिका अधिनियम, 2041 के श्रामित । 1941ना के अन्तर्गत इस विषय पर कोई भी दिशा—निर्देश आर्थ करने की शवित से या प्रभाव की होगी।
